न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–3 उन्नाव।

विविध वाद संख्या–354/20

गोवर्धन बनाम जगदीश आदि।

23.01.2020

विविध वाद पेश हुआ। आदेश हेतु नियत है।

धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आवेदक का कथन इस प्रकार है कि परिवादी का परिवार अ0सं0–69/19 धारा 363 भा0दं0सं0 थाना माखी में जिला कारागार में निरूद्ध करा दिया गया जिसके पश्चात गांव के लोगों ने परिवादी के घर व खेतों में लूट पाट किया। परिवादी को छोटे लाल व जगदीश ने मार पीट कर गांव से दिनांक 06.04.2019 को समय 10 बजे प्रातः भगा दिया। परिवादी के घर पर नाबालिग भाई सुभाष व बहन सुनीता नाबालिग को भी मार पीट कर धमकी देकर कहा कि गांव छोड़कर भागो वर्ना हत्या कर देगें। परिवादी के सामने ग्रामवासी छोटे लाल व गिरवरखेड़ा के जगदीश ने घर में रखा जेवर कीमत 2 लाख लूट किया तथा 6 कुन्टल गेहूँ, 7 कुन्टल लाही (सरसों) लूटवा कर अपने–अपने घरों में उठा ले गये। परिवादी को मार पीट कर भगा देने के पश्चात उक्त लोगों ने परिवादी की खड़ी गेहूँ की फसल को ग्राम वासियों से बाले कटवा दिया तथा पराली को जानवरों से चरा दिया। परिवादी को जान बूझकर गांव से भगाने के बाद परिवादी की मोटर साइकिल उठा ले गये। परिवादी ने गांव से विस्थापित होने के पश्चात जानवर, जो भूखे प्यासे बंधे थे, उन्हें गांव के लोगों ने छोड़ दिया जिसमें एक लाख कीमत की दो भैंसो को छोटे लाल व जगदीश द्वारा पकड़वा कर बेच कर कटवा दिया गया जिसे लोगों ने बेचने व कटाने से मना किया उन्हें भी धमकी दिया कि यदि मना किया तो उन्हें भी उसी केस में सहयोग में फंसा देगें।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा थानाध्यक्ष माखी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गयी है।

आवेदक की ओर से सूची के माध्यम से पुलिस अधीक्षक उन्नाव को दिये गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में स्थानीय थाना से आख्या आहूत की गयी तथा आख्या के अनुसार स्थानीय थाने पर कोई मुकदमा पंजीकृत नही है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 में विपक्षीगण जगदीश व छोटे लाल द्वारा मार पीट कर घर भगा देने, आवेदक के भाई व बहन को भी मार पीट कर गांव छोड़ कर भाग जाने हेतु धमकी देने, घर से जेवर व अनाज उठा ले जाने, गेहूं की फसल के बाले कटवा देने व पराली को जनावर को चरा देने व आवेदक की मोटर साइकिल के पुर्जे खोलकर घर के सामने फेक देने व अन्य लोगो को भी मुकदमें में झूठा फंसवा देने का कथन किया गया है।

घटना के समस्त तथ्य तथा विपक्षीगण के नाम व पता आवेदिका के संज्ञान में हैं। आवेदक के प्रार्थना पत्र के कथानक से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नही होता है जिसके सम्बन्ध में विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। आवेदक घटना को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता है। अतः विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम राज्य उ0प्र0, ए0सी0सी0 2007 (6),ए0एल0जे0 पृष्ठ सं0 424 में पारित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान 200 दं0प्र0सं0 दिनांक—18.03.2020 को पेश हो। परिवादी गवाहों की सूची नियत तिथि तक दाखिल करे।

दिनांक—23.01.2020

(प्रमोद सिंह यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0—3 उन्नाव।
जे0ओ0 कोड—यू0पी0—1977